न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट भोगनीपुर ,कानपुर देहात।
परिवाद सं–697/2021

रानी देवी बनाम तेजसिंह आदि।

दिनांक 26/09/2022

पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु पेश हुई।

प्रार्थिनी रानी देवी की ओर से धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अधीन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए इस आशय का कथन किया गया है कि प्रार्थिनी दिनांक 21.05.2021 को समय करीब 08:30 बजे सुबह अपने पुत्र अर्पित उम्र सात वर्ष के साथ खेतो पर शौच क्रिया करने हेतु जा रही थी तभी गांव से बाहर 500 मीटर की दूरी पर जैसे ही चन्द्रभान रैदास के खेत के पास पहुंची कि तभी गांव के तेजसिंह उर्फ लाला व बाबूजी ने रास्ते में वादिनी को जबरन रोक कर दोनों ने बुरी नियत से छेड़छाड़ कर नोचा घसोटी की जिससे वादिनी का ब्लाउज फट गया वादिनी के विरोध करने पर विपक्षीगण मौके से भाग गये । उसी दिन वादिनी ने विपक्षीगण के घर जा कर उलाहना दिया तो उक्त विपक्षीगण वादिनी के घर पर चढ़ कर बुरी बुरी मां बहन की गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी तथा मार पीट पर आमादा हुए । विपक्षीगण आपराधिक प्रकृति के लोग हैं तेज सिंह के विरूद्ध सट्टी थाना में मार पीट व छेड़छाड़ का अन्य मुकदमा पंजीकृत है । वादिनी ने उक्त घटना अपने पति को बताई तब वादिनी के पति वादिनी को लेकर घटनावाली दिनांक 21–5–2021 को ही थाना सट्टी जा कर लिखित तहरीर दी थी परन्तु मुकदमा नही लिखा गया । वादिनी तब से बराबर थाना सट्टी के चक्कर लगाती रही परन्तु थाना पुलिस विपक्षीगण से मिल कर वादिनी पर सुलह का दबाव बनाने लगे और मुकदमा पंजीकृत नही किया तब वादिनी ने दिनांक 02–6–2021 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय माती कानपुर देहात को एक प्रार्थनापत्र रजि 0 डाक से भेजा था तथा पुलिस उच्चाधिकारियों को भी रजि 0 डाक से प्रर्थनापत्र भेजे थे परन्तु आज तक वादिनी का मुकदमा नहीं लिखा गया है । वादिनी के साथ घटी घटना से संज्ञेय अपराध बनता है न्यायहित में वादिनी के मामले की रिपोर्ट दर्ज करा कर विवेचना कराया जाना आवश्यक है ।

उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय द्वारा आदेश दिनाँकित 30.09.2021 के द्वारा परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया तथा परिवादिनी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० अंकित किया गया । परिवादिनी की ओर धारा 202 दं०प्र०सं० के अंतर्गत पी०डब्लू०–01 सोबरन सिंह व पी०डब्लू०–02 मोहर सिंह को परीक्षित कराया गया है।

परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० व उसकी ओर से परीक्षित साक्षियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त तेजसिंह द्वारा छेड़छाड़ करने, गाली गलौज करने का अपराध प्रथम दृष्टया होना प्रतीत होता है। अतः सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों व परिवादिनी तथा उसकी तरफ से परीक्षित साक्षियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त तेज सिंह को अंतर्गत धारा – 354, 504 भा०दं०सं० में तलब किये जाने के पर्याप्त आधार हैं।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त तेज सिंह को अंतर्गत धारा – 354, 504 भा०दं०सं० में तलब किया जाता है। परिवादिनी अन्दर सप्ताह पैरवी करे। बाद पैरवी सम्मन जारी हो। पत्रावली दिनांक 11/11/2022 को पेश हो।

(राशि तोमर)
सिविल जज(जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट
भोगनीपुर, कानपुर देहात।
J.O code U.P 2540

दिनांक 26/09/2022